

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत

**न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़**मुकाम **चित्तौड़गढ़****कानसिंह**

बनाम

**लोक सूचना अधिकारी
(नगर परिषद् चित्तौड़गढ़)**किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)**नं० **014**सन् **2022**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14.03.2022	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो बाद जांच पेश हुई। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी कानसिंह पिता कालुसिंह राजपूत निवासी चामटीखेडा वार्ड नं० 32 चित्तौड़गढ़ मोबाईल 998283610 ने सूचना प्राप्त हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम अपील आयुक्त नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है एवं आयुक्त नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी(राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता को बिन्दु पर इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, अपीलार्थी को सक्षम संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (अध्यक्ष, नगर परिषद्, चित्तौड़गढ़) के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। अहकाम की प्रतिलिपि संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।</p>	

-S/D-

(अरविन्द कुमार पौसवाल)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी

जिला कलक्टर,

चित्तौड़गढ़

14.03.2022

